संख्या 2031 / II–2006–03–(11)/05

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग

देहरादून, दिनांक 17 अप्रैल ,2006

विषयः– **स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, गंगाघाटी जल विद्युत परियोजना, देहरादून का पत्र सं0 1228/गजप/एफ–8/ दिनांक 28.02.2006 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान के अन्तर्गत " **जनपद उत्तरकाशी में मोरी विकास खण्ड के जागठा बाढ़ सुरक्षा योजना**" लागत रू0 43.12 लाख लागत के आगणन की टी0ए0सी0 द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 43.00 लाख (रूपये तैतालीस लाख मात्र) के लागत के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इन योजना के आगणन पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2– उक्त कार्य के निष्पादन में वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर विषयक नियम, मितव्ययता के सम्बन्ध में आदेश एवं शासन द्वारा इस विषय में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का पालन किया जाय।

3– स्वीकृत की जा रही योजना का कार्य समयवद्ध रूप से पूर्ण किया जाय।

4– कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5– आगणन में उल्लिखित दरें जो शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है कि स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी होंगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

.....2

9– उक्त अनुमोदित लागत के विपरीत धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार निवर्तन पर रख गयी धनराशि से ही किया जायेगा।

10– एक मुस्त प्राविधान पर कार्य करने से पूर्व निस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

11– कार्य करने से पूर्व तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर सिंचाई विभाग की प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

12– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भान्ति निरीक्षण उच्चा अधिकारियों से आवश्य करा ले निरीक्षण के पश्चात स्थलीय आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

13– निर्माण सामग्री प्रयोग में लेने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टैस्टिंग कराकर उपयुक्त पायी जाने पर ही सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

14– यह सुनिश्चित किया जाय कि योजना का लाभ अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को प्राप्त हो।

2– यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या–182/XXVII(2)/2006 दिनांक 28 मार्च, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।

संख्याः– 2031 /II–2006–03–(11)/05 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरॉचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–3, उत्तरॉचल शासन।
3– जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
4– निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी सिंचाई एवं ऊर्जा उत्तरांचल।
5– समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरॉचल शासन।
6– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तरॉचल।
8– बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।